

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

6 JUL 2015

क्रमांक:- प010(22)/आयु0/2010

जयपुर दिनांक:-

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प010(2)/आयु0/2010 दिनांक 30.12.2014 द्वारा वर्ष 2015 में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त आदेश जारी किये गये थे जिसमें अंकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई विभागीय जाँच/प्रारम्भिक जाँच/शिकायत/एफ0आई0आर0 आदि विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण पत्र अंकित किया गया था। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 358-560 दिनांक 30.03.2015 के निर्देशानुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्रारूप 6 के क्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं।

श्री/श्रीमती इस विभाग के आदेश क्रमांक प010(2)/आयु0/2010 दिनांक 30.12.2014 में क्रम संख्या 1 से 134 जो (पद नाम) आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रूप में (सेवा) आयुर्वेद सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती क्रम संख्या 1 से 134 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सेवा राम स्वामी)
उप शासन सचिव

क्रमांक:-प010(22)/आयु0/2010

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
3. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : प.1/प्रति.7/अधि.से.नि.-15/ 10431

दिनांक) 3/7/15

प्रतिलिपी : निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. समस्त अधिनस्थ कार्यालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
2. प्रभारी, प्रति.6 (पेंशन) शाखा, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. सहा.प्रोग्रामर निदे.आयु.वि.अजमेर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सामान्य पत्रावली

(विनीता श्रीवास्तव)
निदेशक